

28/01/18
 पंचायती पेश हुई
 श्री. जे. लाला/बायो/पातेवादी, उभयपक्ष/उप.
 अनुपस्थित
 अधिवक्ता प्राथी/आपाथी/उभयपक्ष/उप
 अनुपस्थित
 पंचायती बास्ते **तलवी**
 आगामी पेशी दिनांक **20/4/18**
 पेश हो **(DL)**

3.5.18

पञ्चानली राजस्व लेखे कदालत अधिकार
 केम्प अराईफानाली के पेश डीसी वादीगण
 व उतिवादी के लखे हाथिर भाकर लेखे
 कदालत श्री कायका के शकीनाका पेश डिक
 उक्त शकीनाका वाद-पक्ष सुनाने पश्चात
 किना गणा व पत्रकारों को सुनाने के
 रिकार्ड का कनेक्शन किना गणा। वादी
 -गण व उतिवादीगण एक ही परिवार
 के सदस्य किना-पुत्र हैं। संयुक्त उका. प.
 अराईफानाली द्वारा कदालत उका. प. पेश
 किना गणा के को शकीनाका पञ्चानली व वादीगण
 व उतिवादी (क.) के लखे हाथिर भाकर शकीनाका
 लेखे कदालत श्री कायका के पेश डिक हैं। यह
 पक्ष का कोई विरोध हाथिर लखत नही किना है।
 किना वादीगण का वाद-पक्ष सुनाने शकीनाका
 लेखे कदालत श्री कायका के डिकी किना भाकर
 वादीगण व उतिवादी (क.) के शकीनाका के
 बर्षिता शक्ति शक्ति का मातेदार कायतकार
 कोहित किना जाता है। यदि उक्तगत शकीना
 पक्ष उक्त है तो लखे सुनाने का उका. प. प.
 पेश होने पर पक्ष डिकी किना भाकर कदालत-पक्ष
 किना भाकर। पञ्चानली के लखे सुनाने हाथिर
 शकीनाका कदालत श्री कायका शकीनाका पुत्र डिकी।
 (किनेरा सुनाने गणा।)

Signature
 सुरेश चरण



2/5/18
 (Signature)

(DL)
 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाबता दीवानी)

अज अदालत:-सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान अराईयावाली

पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

सुखवीर सिंह आदि बनाम जोगेन्द्र सिंह

दावा बाबत 88 आरटीए, राजस्व वाद संख्या:- 317/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री गुरमोहनसिंह अधिवक्ता-वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा तहसील 25 केएसपी के पत्थर नम्बर-114/329 किला नम्बर-15/0.051 है0, 16 ता 25 कुल 2.581 हेक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में डिक्री का अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

.....लीज.....मुबलिंग.....बातत.....
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....से तारीख वसुलयाबी.....

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 9-05-2018 से जारी की गई।

विवरण पक्षकार

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

1. सुखवीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह
 2. गुरभजन सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह
जाति जटसिख, निवासीगण अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़-
- बनाम

---वादीगण---

जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री अजमेर सिंह पुत्र स्व0 श्री हीरा सिंह, जाति जटसिख, निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़-

---प्रतिवादी---

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official